प्रपत्र–4

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रॉथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 19–06–2019 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री नन्दा बल्लभ (वन बीट अधिकारी) एवं , राजस्व विभाग की ओर से श्री नन्द लाल (राजस्व उपनिरीक्षक), प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ललित मोहन तिवारी (कनिष्ठ अभियन्ता) द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि शून्य हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.990 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0, एवं गैर मजरूवा 4.185 है0 इस प्रकार कुल वनभूमि 5.175 है0 एवं नाप भूमि 1.192 है0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से राथी गांव की कुल 4873 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में शून्य व नाप भूमि पर 35 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो)........×..........................

....

....

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि
अस्कोट (पिथौरागढ़)

तहसीलदार
धारचूला

JE

ह0/–
सहायक अभियन्ता
लो0 नि0 वि0 विभाग
धार(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह0/–
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र राजस्व विभाग का
तहसील प्रतिनिधि (पिथौरागढ़)

ह0/–
(वन विभाग का प्रतिनिधि)

उप जिलाधिकारी
धारचूला

ह0/–
(जिलाधिकारी)

ह0/–
(प्रभागीय वनाधिकारी)

व0 दा0
वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला।

ह0/–
(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)

ह0/–
प्रधान/वन पंचायत सरपंच)